न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 249/2017 (2017/00190)

अनवान

1. दिनेश पिता रामकिशन दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे , चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
2. मुकेश पिता रामकिशन दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे , चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
3. राकेश पिता रामकिशन दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे , चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
4. विद्या पुत्री रामकिशन दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे , चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. तुलसीराम पिता शम्भू दमामी नि.रावला के पास बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. रामकिशन पिता शम्भू दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
3. अशोक पिता तुलसीराम दमामी नि.रावला के पास बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. भूमिधारी तहसीलदार सा.चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री बसन्तीलाल पोखरना अधिवक्ता वादीगण

श्री शिवलाल दमामी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 03

निर्णय दिनांक 05/05/26

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 02 एक ही पूर्वजों की संताने है जिनका पारिवारिक सजरा वाद पत्र मे अंकित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ो के नाम ग्राम बस्सी में साबिक आराजी नं 1929, 1930, 1932, 1933 दर्ज रिकार्ड । जिसके भू–प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नं 3739, 3740, 3741, 3742, 3743 किता 05 रकबा 1.70 हे. बने । उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण का जन्म से ही अधिकार निहित है। क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 03 के दादा शम्भु पिता जैसिंह के नाम पर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के उपरान्त विरासत से शम्भू के दो पुत्र तुलसीराम प्रतिवादी संख्या 01 व रामकिशन , प्रतिवादी संख्या 02 के नाम पर खातेदारी मे दर्ज हुई किन्तु उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अलावा वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 03 का भी पैदाईशी हक अधिकार व हिस्सा खातेदारी है। दिनांक 16.06.2005 को प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 से वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 02 रामकिशन से बिना प्रतिफल दिये बहला फुसला कर वादीगण के हितों के विरूद्ध बिना वादीगण को जानकारी दिये बिना वादीगण की सहमति लियेए हक त्याग विलेख निष्पादित करवा लिया जो वादीगण के हक अधिकार व हिस्सा खातेदारी वर्णित वाद पत्र की चरण संख्या 02 के प्रभावहीन व शून्य हैए क्योंकि रामकिशन जी प्रतिवादी संख्या 02 को हक त्याग विलेख निष्पादित कर पंजीयन कराने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था और न ही इस प्रकार कोई खातेदारी अधिकारो का हस्तान्तरण ही विधिमान्य होता है। अकेले प्रतिवादी संख्या 02 रामकिशन जी को बिना वादीगण की अनुमति व सहमति के हक त्याग विलेख निष्पादित करने का कानूनी अधिकार नहीं था। इस हक त्याग विलेख दिनांक 15.6.2005 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 01 ने वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात को अपने अकेले के नाम पर नामान्तरित करवा खातेदारी में दर्ज करवा दी जो विधि विपरीत है। वस्तुतः वादीगण का वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात में विधि अनुसार पैदाईशी हक अधिकार व हिस्सा खातेदारी है जिसे किसी भी प्रकार परित्याग करने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 02 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है इस कारण वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 के अकेले के नाम पर खातेदारी में दर्ज है यह अंकन गलत होकर निरस्त घोषित किये जाने योग्य है एवं वादीगण के पक्ष में इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाना आवश्यक है कि वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का विधि अनुसार हक अधिकार व हिस्सा खातेदारी है तदर्थ यह वाद बाबत् घोषणात्मक डिक्री अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत किये जाने की नौबत आयी है। उक्त हक त्याग विलेख दिनांक 15.06.2005 की वादीगण को कोई जानकारी नहीं थी न वादीगण की सहमति से उक्त हक त्याग विलेख प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कराया। प्रतिवादी संख्या 01 ने भी उक्त तथ्यों को छिपाये रखा और सन् 2010 में प्रतिवादी संख्या 01 ने अकेले के नाम पर वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित समूची भूमि को अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी में नामान्तरित करवा ली जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 16.06.2015 को इस कारण हुई कि प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 03 अपने पुत्र के साथ इस आशय का प्रयास किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित समूची आराजी को अन्य को विक्रय या हस्तान्तरण कर दे और इस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ने प्रयास प्रारम्भ कर दिया व खरीददारों की तलाश शुरू कर दी इस तथ्य की भनक सर्वप्रथम वादीगण को दिनांक 16.06.2015 को होने पर वादीगण ने विधि अनुसार संबंधित राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिलाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिससे वाद पत्र में उपर वर्णित तथ्यों की जानकारी वादीगण को हुई इस

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नकारी के होते ही तुरन्त कानूनी परामर्श लेकर यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

अन्त मे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वाद वर्णित आराजीयात मे हिन्दू विधि अनुसार वादीगण का पैदाईशी हक अधिकार व हिस्सा खातेदारी एवं विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 03 स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सनुवाई दिनांक 30.05.2016 को खारीज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ के यहा पेश हुई । माननीय अपीलीय न्यायालय के प्रकरण संख्या 275/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 01.12.2017 से न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30. 05.2016 को अपास्त की जाकर प्रकरण मे उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम की जाकर गुणावगुण के आधार पर पुन निर्णय पारित करने हेतू प्रतिप्रेषित किया गया ।

माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना मे प्रकरण पुन : दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सूचना पत्र तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 01 से 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 15.02.2023 को एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 मुकेश , pw2 दिनेश , pw3 रणजीत गोस्वामी , pw4 राकेश , pw5 विद्या के प्रस्तत कर बयान लेखबद्ध करवाए गए एंव दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 249 सम्वत् 2065–2068 , प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2020, प्रदर्श– 3 नकल नामान्तरण संख्या 1608 , प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) , प्रदर्श–5 नकल खसरा पत्रक, प्रदर्श–6 नकल हक त्याग लेख प्रमाणित प्रदर्शित करवाए। दौराने सुनवाई अधिवक्ता शिवलाल दमामी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की और से अधिकार पत्र एंव प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा.दी. पेश किया जो सलंग्न पत्रावली होकर रेकार्ड पर है। उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई खारीज किया गया। पत्रावली नियत दिनांक को बहस हेतू पेश हुई। बहस प्रकरण उभयपक्षकारान की सुनी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वक्ता वादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजीयात तृक व पुश्तैनी होने से वादीगण का विधि अनुसार बनने वाले हक हिस्से की घोषणा करवाने हेतू निवेदन किया । इसके विपरित अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के कथनो का खण्डन करते हुए वादीगण का वाद पत्र खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी ग्राम बस्सी सम्वत् 2065 से 2068 मे वर्णित आराजीयात तुलसीराम , रामकिशन पिता शम्भू दमामी के नाम दर्ज होना बतलाती है तथा उक्त जमाबन्दी मे लगे नोट अनुसार इन्तकाल नं 1608 रिलीज डिड से पुरा खाता तुलसीराम पिता शम्भू दमामी के नाम दर्ज होने का दाखिला लगा हुआ है। उक्त दाखिले की पुष्टि हेतू नकल नामान्तरण संख्या 1608 की प्रमाणित प्रति पेश है जो प्रदर्श –3 है।

उपरोक्त दस्तावेजात और मौखिक साक्ष्य से यह बात स्पष्ट उजागर हुई है कि वादग्रस्त आराजीयात का हस्तान्तरण जरिए रिलिज डिड से हुआ है जो कि पंजीकृत दस्तावेज है। चूंकि उक्त पंजीकृत दस्तावेज के अस्तित्व मे रहते हए वादीगण वादग्रस्त आराजीयात मे घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है। गौरतलब है कि उक्त पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। वादीगण को चाहिए की उक्त पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय मे चुनौति देकर निरस्त करवाए एंव तदुपरान्त न्यायालय हाजा से घोषणा का अनुतोष प्राप्त करे।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वाद पत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होकर राजस्व न्यायालय मे विचारण योग्य नही होने से खारीज किए जाने योग्य है।

अत : वादीगण का वाद पत्र बाबत् ग्राम बस्सी की आराजी नम्बर 3739, 3740, 3741, 3742, 3743 कुल किता 05 कुल रकबा 1.70 हे. मे खातेदारी घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का राजस्व न्यायालय मे विचारण योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

([illegible] सेवल)
[illegible] एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

1. दिनेश पिता रामकिशन दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे , चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
2. मुकेश पिता रामकिशन दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे , चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
3. राकेश पिता रामकिशन दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे , चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
4. विद्या पुत्री रामकिशन दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे , चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. तुलसीराम पिता शम्भू दमामी नि.रावला के पास बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. रामकिशन पिता शम्भू दमामी नि.एफ.सी.आई गोदाम के पीछे चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
3. अशोक पिता तुलसीराम दमामी नि.रावला के पास बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. भूमिधारी तहसीलदार सा.चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—188 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : **249/2017 (2017/00190)**

वादीगण की ओर से वकील श्री बसन्तीलाल पोखरना एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ओर से वकील श्री शिवलाल दमामी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादीगण का वाद पत्र बाबत् ग्राम बस्सी की आराजी नम्बर 3739, 3740, 3741, 3742, 3743 कुल किता 05 कुल रकबा 1.70 हे. मे खातेदारी घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का राजस्व न्यायालय मे विचारण योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

यह आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(भीमू राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)